राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (242) निकाशि/अनु/09/181 दिनांक:- 11/9/2013

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013–14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

पत्रा.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय/ संकाय
242	एस.आर.एस. बॉयज कॉलेज, अदईया रोड, तह0 कुम्हेर, भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय/ संकाय

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
2. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
3. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता हैं ।
4. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा ।
5. निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
6. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
7. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
8. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
9. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी ।
10. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
11. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेंजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 30 सितम्बर 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
12. राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013–14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।

उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpl.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:एफ 4 (68) आकाशि / नि.सं. / 2009 / 1185 दिनांक:– 02/05/2022

संशोधन–आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांकः–एफ 4 ( ) आकाशि / नि.स. / 2009 / 990 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा "श्री रतन सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, सुरोता भवन, कुम्हेर, भरतपुर द्वारा संचालित "**एस.आर.एस बॉयज कॉलेज, अदईया रोड, तह0 कुम्हेर, भरतपुर**" को निजी महाविद्यालय नीति 2021–22 के बिन्दु संख्या–32 के अन्तर्गत पूर्व संचालित विषयों– स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित एवं स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत में सत्र 2021–22 से नियमितीकरण कर स्थाई मान्यता के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश में स्नातकोत्तर स्तर पर त्रुटिवश 'हिन्दी साहित्य एवं भूगोल' विषय के स्थान पर संस्कृत विषय अंकित हो गया है। अतः विभाग द्वारा जारी आदेश में 'संस्कृत' के स्थान पर 'हिन्दी साहित्य एवं भूगोल' विषय पढा जायें ।

अति0 आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
4. कुल सचिव, महाराजा सूरजमल ब्रज वि0वि0 भरतपुर ।
5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

/173407

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART – III, SECTION - IV

F. No. NRC/NCTE/NRCAPP-201615512/Recognition/269th Meeting (Part-5)/2017 Dated:- 12 MAY 2017

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its meeting held from time to time (mentioned against each of the institution) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following Institutions for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against their names from the academic session **2017-2018** under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below.

Sr. No.	File No.	Name of Institute	Course	Duration	Approved annual intake	Meeting No.
1	ID No. – 9920 NRCAPP-201615512	Shri Ratan Singh T T College Kumher, Khasra No. 2152/4795, 2153, 2152/4796, Village/Town/City- Shri Ratan Singh T T College Kumheradhaiya Road, Street/Road- Adhaiya Road, Tehsil/Taluka- Kumher, Town/City- Shri Ratan Singh T T College Kumheradhaiya Road, District:- Bharatpur, State- Rajasthan, Pin Code-321201	BA.B.Ed./B.Sc.B.Ed.	4 Year Integrated	100 (2 Units)	269th Meeting (Part-5)

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन निधी–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No. 0141-2744266, 2744635 Fax: 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail : nrc@ncte-india.org
Website: www.ncte-india.org

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F.NRC/NCTE/NRCAPP-15512/270th (Part-1) Meeting/2017/176321 Date: 31 MAY 2017

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART –III, SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in terms of Section 14/15 of the NCTE Act. 1993, **Shri Ratan Singh Shikshan Avm Prashikshan Sansthan, Adhaiya Road, Kumher, Khumer Bharatpur, Rajasthan,** had submitted an application to the Northern Regional Committee of NCTE seeking recognition/permission to the institution, **Shri Ratan Singh TT College, Kumher, Adhaiya Road Bharatpur, Rajasthan,** for B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. Course on **06.06.2017.**

AND WHEREAS, the matter was considered by NRC in its 269th (Part-5) Meeting held from 26th April, 2017 to 2nd May, 2017 and the **Committee decided that recognition be granted to the institution for B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. course for two units (100 students) under clause 7(16) of the NCTE Regulations, 2014 from the academic session 2017-2018.**

AND WHEREAS, the institution submitted an application dated 04.05.2017 to the NRC-NCTE requesting for change of name from **Shri Ratan Singh TT College,** to **Shri Ratan Singh Boys College,**

AND WHEREAS, the Northern Regional Committee, National Council for Teacher Education in its **270th (Part-1) meeting held from 29th to 30th May, 2017** considered the case of the institution under provisions of the NCTE Act, Regulations and Guidelines issued by NCTE-Hqrs. and decided as under: -

- **Institution may be permitted to change the name from Shri Ratan Singh TT College to Shri Ratan Singh Boys College,**

NOW THEREFORE, the Northern, Regional Committee hereby grants permission to the institution for change of name of the institution from **Shri Ratan Singh TT College,** to **Shri Ratan Singh Boys College,**

By Order,

(Satish Gupta)
Regional Director(I/C)

The Manager
Govt. of India Press,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to: -

1. **The Principal: -**
   Shri Ratan Singh Boys College,
   Kumher Adhaiya Road Adhaiya,
   Rajasthan, Bharatpur

2. **The Secretary/Manager: -**
   Shri Ratan Singh Shikshan Avam Prashikshan Sansthan,
   Adhaiya Road, Kumher,
   Khumer Bharatpur, Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

8. In case if the land is in the name of the Society/trust, the land is to be transferred within six months in the name of the institution, failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

9. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

10. The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and accepted by MHRD.

11. The Institution shall fill the GIS Application within one month of issue of this order.

12. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under sections 18 of NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website www.ncte.india.org within 60 days from the date of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website.

By order

(Satish Gupta)
Regional Director(I/C)

The Manager,
Govt. of India Press,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to:-

1.	**The, Principal** Shri Ratan Singh T T College Kumher, Khasra No. 2152/4795, 2153, 2152/4796, Village/Town/City- Shri Ratan Singh T T College Kumheradhaiya Road, Street/Road- Adhaiya Road, Tehsil/Taluka- Kumher, Town/City- Shri Ratan Singh T T College Kumheradhaiya Road, District:- Bharatpur, State- Rajasthan, Pin Code- 321201.	
2.	**The Secretary/Manager,** Shri Ratan Singh Shikshan Avam Prashikshan Sansthan, Village/Town/City- Adhaiya Road Kumher, Street/Road- Kumher, Tehsil/Taluka- Kumher, Town/City- Kumher, District:- Bharatpur, State- Rajasthan, Pin Code- 321201	
3.	The Principal Secretary, Higher Education. Government of Rajasthan Secretariat, Jaipur. Rajasthan, Pin Code -302005	***With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above.***

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ 24(36)बी.एड/आकाशि/17/432 दिनांकः– 28/6/2017

:आदेश:

विभाग द्वारा सत्र 2017–18 के लिए बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत) कोर्स के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश क्रमांकःएफ 24(NOC17-18)बी.एड/आकाशि/17/340 दिनांक 25.05.2017 में अंकित महाविद्यालय के नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के आदेश क्रमांक NRC/NCTE/NRCAPP-15512/270th(Part-1)Meeting/2017/176320-26 dated 31-05-2017 के आधार पर महाविद्यालय के नाम में निम्नानुसार परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संशोधन पश्चात महाविद्यालय का नाम व पता
1	Shri Ratan Singh TT Collge, Kumher, Adhaiya Road, Bhartpur	Shri Ratan Singh Boys Collge, Kumher, Adhaiya Road, Bhartpur

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1–विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2–निजी सचिव,अति0मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3–निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4–संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5–समन्वयक पी.टी.ई.टी.2017, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6–रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को भेजकर लेख कि संस्था का सम्बद्धता पत्र जारी कराने का श्रम करें।
7–क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई, जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल,भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
8–परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
9–सचिव/प्राचार्य, श्री रतनसिंह ब्वाज कॉलेज, कुंम्हेर, अधेया रोड़, भरतपुर
10–रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कालेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

7/25/17, 9:58 AM

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email- affiliation_btp@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :प.3.(26)/मसूबृवि/अकाद–II/2024/ 3731 दिनांक : 22/01/2025

सशर्त अस्थायी सम्बद्धता आदेश (2024–25)

प्राचार्य/सचिव,
श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस.आर.एस.)
कुम्हेर, भरतपुर राजस्थान– 321201

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में निम्नांकित शिक्षा महाविद्यालय की सम्बद्धता आवेदन पर विचार किया गया। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में सत्र 2024–25 की राज्य सरकार की NOC जारी होने के आधार पर एवं निरीक्षण दल द्वारा भौतिक निरीक्षण कर प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित कमियों की आप द्वारा शपथ पत्र में बयान समयावधि में आक्षेपपूर्ति किए जाने की शर्त पर सत्र 2024–25 हेतु बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड स्तर पर नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में **सशर्त अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि** की जा रही है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का विवरण

1	2	3	4	5	6
क्र.स.	कोड	महाविद्यालय नाम	संकाय	आवेदित सीट	टिप्पणी
1.	166	श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस.आर.एस.) कुम्हेर, खसरा नं. 2152/4795, 2153, 2152/4796 अधैया रोड, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर, राजस्थान–321201	बी.ए. बी.एड./बी. एससी.बी.एड	100	1. शैक्षणिक स्टाफ को माहवार वेतन भुगतान की बैंक स्टेटमेंट की प्रति जमा करावें। 2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करावें। 3. महाविद्यालय के भवन की विडियोग्राफी कराकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

अकादमिक काउन्सिल की 18.11.15 की बैठक व 03.03.2020 की BOI की बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर शास्ति (Penalties) आरोपित की जायेंगी।

महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे स्वीकृत की गई सीटों से अधिक पर छात्रों को प्रवेश नहीं दें। अधिक छात्रों को प्रवेश दिये जाने पर उन्हें स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय पर सम्बद्धता–निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

नोटः– आपके द्वारा जमा कराये गए गैर–न्यायिक शपथ पत्र के अनुसार आदिनांक तक आरोपित समस्त सत्रों की जीएसटी उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह की अवधि में जमा कराये जाने हेतु जिम्मेदार होंगे।

कुलसचिव

क्रमांक :प.3.(26)/मसूबृवि/अकाद–II/2024/ 3731-37 दिनांक : 22/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभारी, अकादमिक-I शाखा।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
4. लेखा शाखा/अकादमिक शाखा विश्वविद्यालय।
5. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email- affiliation_btp@msbrijuniversity.ac.in Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :प.3.(26)/मसूबृवि/अकाद–II/2024/3724 दिनांक : 22/01/2025

सशर्त अस्थायी सम्बद्धता आदेश (2024–25)

प्राचार्य/सचिव,
श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस.आर.एस.)
कुम्हेर, भरतपुर राजस्थान– 321201

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में निम्नांकित शिक्षा महाविद्यालय की सम्बद्धता आवेदन पर विचार किया गया। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों की अनुपालना में सत्र 2024–25 की राज्य सरकार की NOC जारी होने के आधार पर एवं निरीक्षण दल द्वारा भौतिक निरीक्षण कर प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित कमियों की आप द्वारा शपथ पत्र में बयान समयावधि में आक्षेपपूर्ति किए जाने की शर्त पर सत्र 2024–25 हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों में **सशर्त अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि** की जा रही है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का विवरण

1	2	3	4	5	6
क्र. स.	कोड	महाविद्यालय नाम	संकाय	आवेदित सीट	टिप्पणी
1.	166	श्री रतनसिंह बॉयज कॉलेज (एस.आर.एस.) कुम्हेर, खसरा नं. 2152/4795, 2153, 2152/4796 अधैया रोड, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर, राजस्थान–321201	**स्नातक कला संकाय** – अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र **स्नातक विज्ञान संकाय** – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित जीवविज्ञान, वनस्पति शास्त्र **स्नातकोत्तर स्तर पर** – भूगोल हिन्दी राजनीतिक विज्ञान	480 240 40 प्रति	1. शैक्षणिक स्टाफ को माहवार वेतन भुगतान की बैंक स्टेटमेंट की प्रति जमा करावें। 2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करावें। 3. महाविद्यालय के भवन की विडियोग्राफी कराकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

अकादमिक काउन्सिल की 18.11.15 की बैठक व 03.03.2020 की BOI की बैठक के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने पर शास्ति (Penalties) आरोपित की जायेंगी।

महाविद्यालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे स्वीकृत की गई सीटों से अधिक पर छात्रों को प्रवेश नहीं दें। अधिक छात्रों को प्रवेश दिये जाने पर उन्हें स्वयंपाठी घोषित कर दिया जायेगा तथा महाविद्यालय पर सम्बद्धता–निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

नोटः– आपके द्वारा जमा कराये गए गैर–न्यायिक शपथ पत्र के अनुसार आदिनांक तक आरोपित समस्त सत्रों की जीएसटी उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 01 माह की अवधि में जमा कराये जाने हेतु जिम्मेदार होंगे।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक :प.3.(26)/मसूबृवि/अकाद–II/2024/3724-30 दिनांक : 22/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभारी, अकादमिक-I शाखा।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
4. लेखा शाखा/अकादमिक शाखा विश्वविद्यालय।
5. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner